



राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी (महात्मा गाँधी एवं नरेन्द्र मोदी के सन्दर्भ में)

किसी भी देश के सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, राजनीति एवं धार्मिक आदि पक्षों को अभिव्यक्त करने का प्रभावशाली माध्यम भाषा ही है। किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसके क्षेत्र एवं उसकी जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि उसकी भाषा साहित्य संस्कृति और दर्शन से होता है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ वह हमारी संस्कृति और संस्कारों के संवर्धन संरक्षण एवं संवहन का साधन भी है। हमारा देश बहुभाषी देश है, जहाँ सभी तीज त्योहारों गीत-संगीत नृत्यों खानपान और पहनावों आदि में इन्द्रधनुषी अनेकता देखने को मिलती है।

अनेकता में एकता ही हमारी भारतीय संस्कृति की अनुपम परम्परा रही है। वास्तव में सांस्कृतिक दृष्टि से सारी भारत सदैव एक ही रहा है। हमारी इस विशाल देश में जहाँ अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न भाषायें बोली जाती हैं और जहाँ लोगों के रीति-रिवाजों खान-पान पहनावे और रहन सहन तक में भिन्नता हो वहीं सम्पर्क भाषा ही एक ऐसी ही है जो एक ओर से दूसरी ओर के लोगों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के समीप लाने का काम करती है। अर्थात् यह दायित्व सम्पर्क भाषा ही निभाती है और वह कोई और भाषा नहीं, हिन्दी ही है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो समग्र भारत में हिन्दी ही ऐसी भाषा है कि जिसे कम या अधिक हर भारतीय समझता है।

आज हिन्दी भाषी क्षेत्रों के अतिरिक्त अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है। छोटे-छोटे प्रादेशिक मतभेदों के होते हुए भी कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से काम रूप तक सम्पर्क भाषा हिन्दी ही भारतीय संस्कृति की आत्मा रही है और इसी के अनुरूप अखिल भारतीय भाषा का निर्माण भी स्वाभाविक रूप से होता है। विभिन्न भाषा प्रदेशों के बीच सम्पर्क या एकता स्थापित करने की एक अन्तरधारा के रूप में हिन्दी भाषा का कोई न कोई रूप भेद व्यवहार एवं उपयोग रहा है।

सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी की आवश्यकता निम्न प्रकार से है :

धार्मिक प्रचार के दृष्टि से सम्पर्क भाषा की आवश्यकता

प्रत्येक धर्म प्रवर्तक अपने कल्याणकारी दिव्य संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना चाहता है। इसके लिए वह अपने प्रचार माध्यम की ऐसी भाषा चुनता है जो कि सम्पूर्ण देश के लिए ग्राह्य हो। सम्पर्क भाषा ही इस कार्य के लिए सर्वथा समर्थ है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने संस्कृत की अपेक्षा पाली भाषा में अपने उपदेश दिये। मुगल काल में निगुर्ण संतों ने तथा वैष्णव धर्मावलम्बियों ने हिन्दी की विविध बोलियों के माध्यम से ही अपने धार्मिक सिद्धान्तों को जन सामान्य तक प्रेषित किया।

हिन्दी उस समय से सम्पर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी और आज भी है। संतों के लिए भाषा जाति वर्ग आदि का भेद नहीं होता, उनके लिए सम्पूर्ण भारत एक जैसा था इसीलिए उन्होंने सारे भारतवर्ष में प्रचलित सम्पर्क भाषा हिन्दी का प्रयोग किया। जनसामान्य की भाषा होने के कारण संतों के दिव्य संदेश हिन्दी के माध्यम से सारे भारतवर्ष में फैले अतः धर्म प्रचार के लिए सम्पर्क भाषा का अपनाया जाना जरूरी है।

सांस्कृतिक एकता के लिए सम्पर्क भाषा की आवश्यकता

भारत विविध आस्थाओं, विश्वासों एवं मत-मतान्तरों का देश है। किन्तु विविधता में एकता ही भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है। उत्तर दक्षिण भागों में स्थित पर्यटन स्थानों पर देश के प्रत्येक कोने से पर्यटक पहुँचते हैं। देश के विविधभाषी पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए एक सम्पर्क भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। सांस्कृतिक एकता को अक्षुण्ण रखने हेतु एक-दूसरे की आस्थाओं को जानकर उसे आत्मसात् करना और परस्पर समन्वय एवं सम्मान की भावना को भारतीय जीवन दर्शन बनाने हेतु उभय भाषा की आवश्यकता है। सम्पर्क भाषा हिन्दी के माध्यम से भारत वासी पारस्परिक मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के प्रति सदभाव रखते हुए देश को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोते हैं।

राजनीतिक दृष्टि से सम्पर्क भाषा की आवश्यकता :

“पै निजभाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल

का उदघोष करने वाले भारतेन्दु की यह पंक्ति राष्ट्र के उन्नति व गाँव हेतु भाषा की जरूरत को लक्षित करती है। सम्पर्क भाषा को ही अगर राज-काज की भाषा बनाया जाये तो साधारण जनता भी राज्य के निर्देशों को आसानी से समझ सकती है। अंग्रेजों ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए अंग्रेजी को राज्य भाषा बनाने के लिये प्रयुक्त किया जिसमें जन को शासन से दूर रखने की इच्छा थी अब जब शासन जन के लिये है तो संवाद उसी की भाषा में किया जाना ही तार्किक है। इसके लिए सम्पर्क भाषा को माध्यम बनाया जाये तो सभी प्रान्तों के लोग आसानी से राज कार्यो में भाग ले सकते हैं, राज्यों के निर्देशों को समझ कर भली-भाँति समझ कर उसका अलग-अलग भाषाओं के ज्ञान की कमी या 'दुरुहता की वजह' से व्याख्यायेओं की

आवश्यकता कम होगी क्योंकि हम भाषा का शब्द अपने अर्थ में निरूपित होता है जबकि अनुवाद में हमेशा संभव नहीं हो पाता ।

भावनात्मक एकता की दृष्टि से सम्पर्क भाषा की आवश्यकता :

हिन्दी भाषा मूल रूप से संस्कृत तथा अन्य क्षेत्रिय भाषाओं के शब्दों से विकसित हुई है इसलिए यह अधिकतर भारतीय भाषाओं के निकट है । अलग भाषाएँ कई बार संघर्ष का कारण बनी हैं, अलग भाषा हमें भाव से ही अलग कर देती है और हम संवाद में शुरुआत से ही जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते । दूसरे शब्दों में कहें तो हिन्दी सम्पर्क भाषा के रूप में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण भारत को एकसूत्र में आबद्ध करने हेतु प्रबल संभावना है ।

व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से सम्पर्क भाषा की आवश्यकता :

किसी भी वस्तु का किसी एक स्थान पर उत्पादन होने पर भी उसकी बिक्री सारे देश में होती है । उसके कारण आवागमन के सुविधायें स्वतंत्र भारत में तेजी से विकसित हुई हैं और अब कुछ भी स्थानीय नहीं है सर्व वस्तु सर्वत्र उपलब्ध हो । सम्पर्क भाषा इस प्रक्रिया से तेज कर देती है । प्रचार सामग्री के अनुवादित संस्करण भी वस्तु के मूल्यों को प्रभावित करते हैं । व्यापार-वाणिज्य तभी सफल हो सकता है, जब ग्राहक और दुकानदार दोनों एक दूसरे की भाषा समझते हों। सम्पर्क भाषा के माध्यम से ही वे एक दूसरे से लेन-देन सम्बन्धी विचार विमर्श भली-भाँति कर सकते हैं। समग्र भारत की जनता जिसको समझती हो ऐसी एक मात्र भाषा हिन्दी ही है । अतः व्यापार एवं वाणिज्य की दृष्टि से भी सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी की अत्यधिक आवश्यकता है ।

सम्पर्क भाषा हिन्दी और महात्मा गाँधी :

आजादी के पूर्व स्वाधीनता आन्दोलन में सम्पूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने के लिए सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी की परिकल्पना करने वाले माननीय महापुरुषों में आचार्य केशव चन्द्र सेन, दयानन्द सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गाँधी, काका कालेलकर एवं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। परन्तु इन सबके बीच सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का व्यापक प्रचार प्रसार करने वाले मुख्य सूत्रधार के रूप में महात्मा गाँधी ही रहे।

राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी को भाषा की भावनात्मक एकता की सही पहचान थी । इसीलिए उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के लिए सम्पर्क भाषा के रूप में भारत की उस भाषा को अपनाया जिसमें राष्ट्र को एकसूत्र में जोड़ने की अपूर्व क्षमता थी । जिसे देश के अधिकांश लोग आसानी से समझ सकते थे और जिसमें भारत के सामाजिक संस्कृति के सर्वहन की पूरी योग्यता थी। सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी की इसी योग्यता ने संविधान निर्माताओं को उसे संघ की राजभाषा बनाने के लिए प्रेरित किया। वस्तुतः उन्हें वह प्रेरणा महात्मा गाँधी से ही मिली थी। महात्मा गाँधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि, “अगर हमारे देश का स्वराज अंग्रेजी

बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला है तो निसंदेह अंग्रेजी ही राज भाषा होगी लेकिन हमारे देश के करोड़ों भूखे मरने वाले निरक्षर भाई-बहनों और दलितजनों का है और इन सबके लिए होने वाला है तो हमारे देश में हिन्दी ही एकमात्र राजभाषा हो सकती है।”

महात्मा गाँधी उत्तर भारत के हिन्दीतर प्रांतों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्कल, बंगाल एवं असम आदि प्रदेशों एवं प्रवासी भारतीयों को हिन्दी सिखाने के लिए विदेशों में भी हिन्दी का प्रचार करने हेतु सन् 1935 में वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की। फिर अनेक राज्यों में अनेक स्वैच्छिक संस्थायें स्थापित की।

महात्मा गाँधी भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम में जनसंपर्क हेतु हिन्दी को ही सर्वाधिक उपयुक्त भाषा समझते थे । सन् 1917 ई. में कलकत्ता (कोलकाता) में काँग्रेस अधिवेशन के अवसर पर राष्ट्रभाषा प्रचार संबंध कांफ्रेंस में तिलक ने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया था । जिसे सुनने के बाद गाँधीजी ने कहा था - “बस इसलिए मैं कहता हूँ कि हिन्दी सीखने की आवश्यकता है । मैं ऐसा कोई कारण नहीं समझता कि हम अपने देशवासियों के साथ अपनी भाषा में बात न करे । वास्तव में अपने लोगों के दिलों तक तो हम अपनी भाषा के द्वारा ही पहुँच सकते हैं ।” हिंदी समस्त भारत वर्ष की सम्पर्क-भाषा बने, यह भारतीय नवजागरण के कई बौद्धिकों द्वारा प्रतिपादित किया जा चुका था, लेकिन यह कैसे संभव हो सके, इस संबंध में कोई सुनिश्चित योजना उनके द्वारा नहीं प्रस्तुत की जा सकी थी । गाँधीजी ने 20 अक्टूबर 1917 ई. को गुजरात के द्वितीय शिक्षा सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में राष्ट्रभाषा के कुछ विशेष लक्षण बताए थे, वे निम्न हैं । 21 दिसम्बर, 1933 को पैराम्बूर सभा में बोलते हुए गांधी जी ने कहा, साथी मजदूरों, यदि आप सारे भारत के मजदूरों के दुःख-सुख को बांटना चाहते हैं, उनके साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको हिंदी सीख लेनी चाहिए, जब तक आप ऐसा नहीं करते, तब तक उत्तर और दक्षिण भारत में कोई मेल नहीं हो सकता । 22 जनवरी 1921 को जारी किए अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा, जो बात मैं जोर देकर आपसे कहना चाहता हूँ वह यह कि आप सबकी एक सामान्य भाषा होनी चाहिए । सभी भारतीयों की एक सामान्य भाषा होनी चाहिए, ताकि वे भारत में जिस हिस्से में भी जायें, वहाँ के लोगों से बातचीत कर सकें । इसके लिए आपको हिंदी को अपनाया चाहिए । हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था कि देश के सारे लोग हिन्दी को इतना ज्ञान प्राप्त कर लें ताकि देश का राजकाज उसमें चलाया जा सके और सभी भारतवासी एक सामान्य भाषा में संवाद कायम करे । आधुनिक हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक निबंधकार, विचारक एवं कवि रामविलास शर्मा का यह स्थान सत्य अहिंसा, वराज, सर्वोदय, किसी भी अन्य विषय पर आज उनके लिये उपादेय नहीं है, जितने भाषा समस्या पर । अंग्रेजी, भारतय भाषाओं, राष्ट्रभाषा हिन्दी और हिन्दी-उर्दू का समस्या पर उन्होंने जितने बातें कहीं हैं वे बहुत ही मूल्यवान हैं । किसी भी राजनैतिक नेता ने इन समस्याओं पर इतनी गहराई से नहीं सोचा, किसी भी पार्टी और उसके नेताओं ने भाषा समस्या के सैद्धान्तिक समाधान को नित्य प्रतिदिन की कार्रवाई से इस तरह अमलीजामा नहीं पहनाया ।

सम्पर्क भाषा हिन्दी एवं नरेन्द्र मोदी :

आज के युग में जब हमारा देश कट्टर पंथ, आतंकवाद, नक्सलवाद एवं सांप्रदायिकता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक बार फिर से राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित कर समग्र देश को राष्ट्रीयता एकता एवं अखण्डता के एक धागे में पिरोने को प्रयत्न किया है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और अस्मिता का पहचान उसकी अपनी भाषा से होती है। विश्व में वही राष्ट्र प्रतिष्ठित और सम्मान का पात्र होता है, जिसे अपनी भाषा, संस्कृति और संस्कारों पर गर्व होता है। इस बात के मर्म को समझते हुए नरेन्द्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा, ब्राजिल, एवं अमरिका जैसे देशों में सम्पर्क भाषा हिन्दी में भाषण देकर समग्र विश्व में भारत वर्ष की संस्कृति एवं अस्मिता की पहचान करायी है। आज के विस्थापन पर्यटन, रोजगार ऐसे विषय हैं जिनमें संपर्कभाषा की विशेष आवश्यकता है और इसे महत्व को समझते हुए नरेन्द्र मोदी जी ने उपयुक्त विषयों के निराकरण या सरकारी क्रियान्वयन में सदा ही संपर्कभाषा के रूप में हिन्दी का उपयोगकर उसको बढ़ावा दिया है।

नरेन्द्र मोदी जी भली-भाँति इस बात को समझते हैं कि सरकार को जनता से जोड़ने में हिन्दी की अहम भूमिका है। उन्हें यह भी पता है कि सामाजिक कल्याण की नीतियों एवं योजनाओं की सफलता के लिए उन्हें जनता तक जनता की भाषा में पहुँचाया जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री जन-धन योजना की सफलता का हवाला देते हुए कहा कि इसमें बैंकों द्वारा ग्राहकों की भाषा में उन तक पहुँचने में बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भारत की जनता को यह विश्वास दिलाया है कि सरकार जनता तक पहुँचने के लिए जनता की भाषा का प्रयोग करेगी। तभी तो मोदी जी ने स्वच्छता एवं स्वदेशी जैसे देश उपयोगी संदेशों को लोगों तक पहुँचाने के लिए सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का उपयोग किया। सम्पर्क भाषा हिन्दी में उनके द्वारा शुरू की गई पहल **मन की बात** आज समग्र भारत के जनता को उत्प्रेरित कर रही है।

निष्कर्ष :

महात्मा गाँधी एवं नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी की उपयोगिता एवं महत्त्व को समझते हुए इसे भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनयिक एवं धार्मिक एकता के प्रतीक के रूप में प्रस्थापित किया है। साथ ही साथ इन दोनों में संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी को राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनाते हुए साबित कर दिया है कि भाषा में हिन्दी ही वह भाषा है जिसे के माध्यम से पूरे देश की अंतरात्मा को समझा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ :-

- I. मेरे सपनों का भारत - महात्मा गाँधी, पृ.29
- II. हिन्दी राष्ट्र भाषा से राजभाषा तक - कृष्ण गोपाल अग्रवाल, पृ.16
- III. भारतीय भाषा परिचय - केन्द्रीय हिन्दी निर्देशालय, पृ.12
- IV. राष्ट्रभाषा राजभाषा जन भाषा - शंकर दयाल सिंह, पृ.40
- V. हिन्दी भाषा अतीत से आज तक - डॉ. विजय अग्रवाल, पृ.46

राजपूत जितेन्द्र कुमार जगन्नाथ सिंह

जे.पी. आर्ट्स एन्ड सायन्स कॉलेज, भरूच

वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय,

सूरत ,गुजरात

Copyright © 2012 - 2017 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat